



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल: ronagpur@nhai.org वेबसाइट: www.nhai.gov.in

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail: ronagpur@nhai.org website: www.nhai.gov.in



NHAI/RO/NAG/UT-403/NH-47/Water /2024-25/ 1789

Date: 19.11.2024

Invitation of Public Comments

Sub: Permission for laying of Underground Water Supply Utility Line of 315mm dia HDPE Pipe from Pravin Hardware, Nara Road along Right side NH-47 Chhindwara Road to Bokhara Square under Ashi Nagar Zone Nagpur, length of pipeline 150 RMT +Road crossing 40m = Total 190rmt-Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 3620 dated 08.11.2024.
2. Dy. Engineer (AMRUT), Public Heath Engineering Dept., Nagpur Municipal Corporation, Nagpur letter no. 208 dated 14.05.2024.

It is to inform all concern that Dy. Engineer (AMRUT), Public Heath Engineering Dept., Nagpur Municipal Corporation, Nagpur letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that Dy. Engineer (AMRUT), Public Heath Engineering Dept., Nagpur Municipal Corporation, Nagpur for subject section of NH-47 in the State of Maharashtra is as follows:

- Laying of Water Pipeline from km 6.340 to km. 6.490 (RHS).
- Crossing at km 6.490.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016 due to above utility on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra
Tel : 0712 2520091 Email : ronagpur@nhai.org

Akash

(Akash Chouksey)
Manager (Tech.)
NHAI, RO, Nagpur

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचआई/आरओ/एनएजी/यूटी-403/एनएच-47/जल/2024-25/ 1789

दिनांक: 19.11.2024

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: आशी नगर जोन नागपुर के अंतर्गत प्रवीण हार्डवेयर, नारा रोड से एनएच-47 छिंदवाड़ा रोड के दाईं ओर बोखारा स्क्वायर तक 315 मिमी व्यास की एचडीपीई पाइप की भूमिगत जल आपूर्ति उपयोगिता लाइन बिछाने की अनुमति, पाइपलाइन की लंबाई 150 आरएमटी + रोड क्रॉसिंग 40 मीटर = कुल 190 आरएमटी-रेग.

संदर्भ:

- पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 3620 दिनांक 08.11.2024।
- उप अभियंता (अमृत), लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, नागपुर नगर निगम, नागपुर पत्र क्रमांक 208 दिनांक 14.05.2024।

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि उप अभियंता (अमृत), लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, नागपुर नगर निगम, नागपुर के संदर्भ (2) के तहत पत्र द्वारा विषयगत कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासन के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. उप अभियंता (अमृत), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागपुर नगर निगम, नागपुर द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-47 के विषय खंड के लिए प्रस्तावित संरेखण निम्नानुसार है:

- किमी 6.340 से किमी 6.490 (आरएचएस) तक जल पाइपलाइन बिछाना।
- किमी 6.490 पर क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपतिया (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मददेनजर, मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपतियाँ आमंत्रित की जाती हैं क्योंकि विषयगत खंड पर उपरोक्त उपयोगिता है। आपतियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी करने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपतियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

Alka

(आकाश चौकसे)

प्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
- निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]